

मांग संख्या 41  
मुख्य शीर्ष-2235

मद क्रमांक-1 एवं 2

एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजना) हेतु राशि ₹ 891.28 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,91,28,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-3

आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक हेतु राशि ₹ 800.00 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,00,00,000 के का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-4

एकीकृत बाल विकास योजना हेतु राशि ₹ 3500.00 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 35,00,00,000 के का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-5

शुचिता योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत) हेतु राशि ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष-2236

मद क्रमांक-6

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत) हेतु राशि ₹ 900.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष-4235

मद क्रमांक-7

आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण हेतु राशि ₹ 471.25 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,71,25,000 का प्रावधान किया गया है।

ekak I d; k 55  
ed; 'k'k&2235

**मद क्रमांक-1**

पाटन क्षेत्र के आंगनबाड़ियों के मरम्मत एवं आधुनिकीकरण हेतु राशि ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक-2 एवं 3**

एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजना) अंतर्गत हेतु राशि ₹ 1172.72 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,72,72,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक-4**

आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक हेतु राशि ₹ 850.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,50,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक-5**

एकीकृत बाल विकास योजना हेतु राशि ₹ 2200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 22,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक-6**

महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण हेतु राशि ₹ 520.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,20,00,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक-7**

शुचिता योजना (राज्य योजना समान्य अंतर्गत) हेतु राशि ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

ed; 'k'k&2236

**मद क्रमांक-8**

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना (राज्य आयोजना समान्य अंतर्गत) हेतु राशि ₹ 650.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,50,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष-4235

**मद क्रमांक-9**

आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण हेतु राशि ₹ 615.20 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,15,20,000 का प्रावधान किया गया है।

**मद क्रमांक-10**

आंगनबाड़ियों का निर्माण हेतु राशि ₹ 217.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,17,50,000 का प्रावधान किया गया है।

ekx I d; k 64  
e[; 'k'k&2235

मद क्रमांक-1 एवं 2

एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजना) हेतु राशि ₹ 281.44 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,81,44,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-3

आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक हेतु राशि ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-4

एकीकृत बाल विकास योजना हेतु राशि ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक-5

शुचिता योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत) हेतु राशि ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

e[; 'k'k&2236

मद क्रमांक-6

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत) हेतु राशि ₹ 250.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,50,00,000 का प्रावधान किया गया है।

e[; 'k'k&4235

मद क्रमांक-7

आंगनवाड़ियों का सुधार एवं निर्माण हेतु राशि ₹ 145.00 लाख का व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,45,00,000 का प्रावधान किया गया है।